19

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 61/1995 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—12—1994 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 110/1993—1994/अपील

.....

1— रामनाथ अहीर
2— भोगीराम अहीर
3— नारायण सिहं
4— उदयभान सिहं
पुत्रगण सोनेराम अहीर
निवासीगण—ग्राम आरेठी
तहसील जौरा, जिला मुरैना, म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— नारायण सिंह पुत्र भीखाराम अहीर
निवासी— ग्राम किरावली तहसील कैलारस
जिला—मुरैना, म0प्र0
2— रामदयाल पुत्र काशीराम अहीर
निवासी ग्राम आरेठी तहसील जौरा जिला मुरैना

.....अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0पी0 धाकड़, अनावेदक क्र0 1

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-9-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 110/1993—1994/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 31—12—1994 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि परगना जौरा के ग्राम आरेठी में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 67/7 रकवा 11 बीधा का भूमिस्वामी अनावेदक रामदयाल था। रामदयाल द्वारा दिनांक 06.12.74 को उक्त भूमि का विकय अनावेदक नारायणसिंह को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से किया। इसके पश्चात रामदयाल ने वादग्रस्त भूमि का विकय दिनांक 06.11.79 को जीवनलाल को किया। जीवनलाल ने नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया और अनावेदक नारायणसिंह ने भी विकय पत्र के आधार नामान्तरण की मांग की। विचारण न्यायालय ने जीवनलाल का नामान्तरण स्वीकार किया। विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्व नारायण सिंह द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी जौरा, जिला–मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसे आदेश दिनांक 09.08.92 द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को लोटाया गया और तहसील न्यायालय ने जीवनलाल के हित में नामान्तरण आदेश पारित किये। विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्व पुनः अनुविभागीय आधिकारी जौरा के न्यायालय में नारायण सिह द्वारा अपील की जो प्रकरण क्रमांक 47/92–93/अपील माल पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 16.03.94 को अस्वीकार की गई । तत्पश्चात द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना में नारायाण सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 110/93–94/अपील पर दर्ज होकर दिनांक 31.12.94 को निरस्त की गई। अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 31.12.94 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि अनावेदक क्र0 2 ने आवेदकगण के हित में विक्रय पत्र किया जाना स्वतः स्वीकार किया है । अनावेदक क्र0 1 को विवादित भूमि कभी विक्रय नहीं की गई । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अक्षम एवं अग्राह्य थी । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अनावेदक क्र0 1 के हित में नामांतरण स्वीकार करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है । अनावेदकगण के मध्य चले तथाकथित व्यवहार वाद में आवेदकगण पक्षकार नहीं थे । आवेकदकगण ने अभिलिखित भूमिस्वामी से सदभावनापूर्वक भूमि क्रय की थी । आवेदकगण को उनके अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायासंगत नहीं है । आवेदकगणको व्यवहार वाद की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त व्यवहार आज्ञप्ति आवेदकगण पर बन्धनकारी नहीं है । अनावेदक क्र0 1 द्वारा 1974 में कराये

गये तथाकथित विक्रय–पत्र के आधार पर अपना नामांतरण कराने हेतु लगभग 18 वर्षों तक कोई प्रयास नहीं किया गया, विक्रेता ने उक्त विक्रय–पत्र का निष्पादन अस्वीकार किया है । व्यवहार न्यायालय में एकपक्षीय रूप से आज्ञप्ति प्राप्त की गई । ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों की जांच किये बिना नामांतरण किया जाना विधि के विपरीत है । संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत जांच किया जाना आवश्यक है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये, निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक क्र0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकगण के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि विक्रेता रामदयाल ने प्रकरण में जवाब पेश कर वादग्रस्त भूमि आवेदक के हित में विक्रय करना बतलाया है किन्तु पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.12.74 एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रदत्त डिक्री दिनांक 22.02.93 के मुकाबले देवीदयाल का जवाब अत्यंत क्षीण है । निगरानी में दर्शाय गये द्वितीय आधार के सम्बन्ध में यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय में प्रस्तुत अपील मेमों के प्रथम पैरा में ही अनावेदक क्र0 2 अंकित नहीं था । अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में आवेदन–पत्र देकर उक्त लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का निवेदन किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर कोई भूल नहीं की है । व्यवहार न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के प्रकरण में इस न्यायालय के अनावेदक नारायणसिंह ने एक अन्य क्रेता जीवनलाल एवं भूमि विक्रेता रामदयाल को पक्षकार बनाया है और उक्त व्यवहार वाद 1989 में पंजीबद्ध हुआ है जबकि आवेदक रामनाथ आदि के हित में विक्रय पत्र दिनांक 07.01.93 को निष्पादित हुआ है। अतः मेरे मतानुसार आवेदकगण को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं था ।

6/ व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री राजस्व न्यायालय के लिये बंधनकारी है । न्यायिक दृष्टांत 1990 राजस्व निर्णय पृ0 219 इस प्रकरण में लागू होता है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जौरा के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखने

में कोई त्रुटि नहीं की है । मैं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से सहमत हूँ ।

7/ उपरोक्त तथ्यों में प्रकाश डालने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.94 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.94 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है और आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी निरस्त की जाती है । अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर